नगर पालिका, खेतडी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KHETRI/FIRENOC/2025-26/58712

जारी दिनांकः 11-NOV-2025 वैधता दिनांकः 10-NOV-2027

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः YASHPAL YADAV

आवेदक का पताः THATHWARI

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **RAO GHASIRAM SIKSHAN SANTHAN, 135, DUDHWA ROAD, THATHWARI, KHETRI, JHUNJHUNU, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथी से वैधता तिथी की अवधि तक ही मान्य होगा। उसके पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवयक होगा, अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्श में कम से कम दो बार अग्निामन विभाग द्वारा प्राक्षिण दिलाना आवयक होगा।
3. अग्निामन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवयक दिाा निर्देाों का पालन करना आवयक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविश्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निामन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिांशा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यीील स्थिति में रखने को बाध्य होगें।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्राक्षित कर्मचारी रखने होगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सकें इसके लिए प्रर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृश्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

Signed by: NAGAR MAL GURJAR
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KHETRI, Rajasthan
Date: 11/11/2025 12:03:11

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, खेतडी